



## COLLEGE OF AGRICULTURE – NAVGAON

*(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)*

**कृषि महाविद्यालय नौगांवा, जिला अलवर (राज.) – 301025**

**Dr. Suman Khandelwal  
DEAN**

Email: [dean.coanavgaon@sknau.ac.in](mailto:dean.coanavgaon@sknau.ac.in) M: 94147 74474

No. F. ( )/COAN/Store/2024/ 1451

Date: 20.12.2024

### खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा, जिला – अलवर 301025 के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु खुली निविदाएं निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत फर्म/कम्पनी निर्धारित प्रपत्र में सौलबन्द निविदाये दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय बिड) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) वेबसाईट पर भी देखा जा सकता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹)	निविदा शुल्क (₹)	बोली प्रतिभूति राशि (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में फर्नीचर आपूर्ति का कार्य।	2.75 लाख	500.00	5500.00	30.12.2024 दोपहर 01.00 बजे तक	30.12.2024 दोपहर 03.00 बजे

निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5500/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के पक्ष में देय हो, दिनांक 30.12.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

  
अधिष्ठाता  
20.12.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि वह स्वयं/प्रतिनिधि बिड खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करे।
- प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराये।
- संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा।
- लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा।
- रक्षित फाइल/निविदा फाइल।
- सूचना पट्ट।

  
अधिष्ठाता  
20.12.2024



## COLLEGE OF AGRICULTURE – NAVGAON

*(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)*

कृषि महाविद्यालय नौगांवा, जिला अलवर (राज.) – 301025

Email: [dean.coanavgaon@sknau.ac.in](mailto:dean.coanavgaon@sknau.ac.in) M: 94147 74474

**Dr. Suman Khandelwal  
DEAN**

No. F. ( )/COAN/Store/2024/ 1451

Date: 20.12.2024

### कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में फर्नीचर क्रय करने हेतु खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा, जिला – अलवर 301025 के लिए फर्नीचर क्रय करने हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत फर्म/कम्पनी निर्धारित प्रपत्र में सीलबन्द निविदाये दो लिफाफा पद्धति (तकनिकी एवं वित्तीय बिड़) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) एवं [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) वेबसाईट पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5500/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में **दिनांक 30.12.2024** को दोपहर 01.00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के पक्ष में देय होगा।

#### A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

- निविदादाता फर्म/कम्पनी का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर रूपये 05.00 लाख या अधिक होना आवश्यक है। साक्ष्य हेतु बिड़ दाता फर्म द्वारा वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र – 'स') अंकेक्षक/सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित संलग्न करे।
- आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर का विवरण देना अनिवार्य है।

#### B. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्तें

- सफल निविदादाता को प्रपत्र 'र' में दिए गए तकनिकी मापदण्डों के अनुसार सभी फर्नीचर सामान की आपूर्ति कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) 301025 में 20 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।
- इस निविदा के तहद सफल निविदादाता को कार्य आदेश प्रदान करने के पूर्व अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के आदेश पर सभी फर्नीचर सामान का सैंपल उपापन समिति को दिखाना होगा। उपापन समिति द्वारा सभी फर्नीचर सामान के सैंपल के उचित पाए जाने पर ही कार्य आदेश प्रदान किया जायेगा।
- निविदादाता को दो लिफाफा पद्धति (तकनिकी एवं वित्तीय बिड़) में निविदा प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता तकनिकी दस्तावेज लिफाफा नं 1 में प्रस्तुत करे तथा लिफाफे के ऊपर **तकनिकी बिड़** लिखे। दूसरे लिफाफे (लिफाफा नं 2) में निविदादाता प्रपत्र 'ब' में अपनी दरें प्रस्तुत करे तथा लिफाफे के ऊपर **वित्तीय बिड़** लिखे। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे। अगर निविदादाता तकनिकी बिड़ के लिफाफे में वित्तीय बिड़ जमा करता है तो उक्त निविदा को बिना तकनिकी मुल्यांकन किये निरस्त किया जायेगा।
- दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
- बिड़ प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति के अभाव में बिड़ पर विचार नहीं किया जाएगा एवं बिड़ अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- बिड़ फार्म में किसी प्रकार की काँट छाँट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।

*Suman*

7. निविदादाता को खुली निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा पत्र (प्रपत्र 'ल') सलंगन करना होगा।
8. निविदादाता को यह लिखकर देना होगा कि उससे द्वारा राजस्थान राज्य निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायत्तशासी संस्था आदि को सामग्री नहीं कि जाएगी। इसके लिए PRICE FALL CLAUSE प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'ब') सलंगन करना होगा।
9. **अनुबंध एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति**
  - (अ) सफल बोलीदाता को कार्यादेश राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के नाम जमा करानी होगी।
  - (ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

10. निष्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfeiture of work performance security deposit) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।
  - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
  - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
  - (ग) जब बोलीदाता सेवा आपूर्ति औदश के अनुसार निर्धारित आपूर्ति अवधि में सेवा की आपूर्ति आरम्भ करने में अवसर रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

### अन्य शर्तें

#### I. निविदा का खोला जाना

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 30.12.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 30.12.2024 को दोपहर 03.00 बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

#### II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5.0 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिए अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के नाम जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

#### III. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) को होंगे। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएं। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। पर्याप्त बोली प्रतिभूति राशि, निविदा शुल्क के भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएंगे। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

#### IV. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर बजट उपलब्धता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 2.75 लाख है। संस्थान द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

## V. भुगतान की शर्तें

निविदा का आपूर्ति कार्य पूर्ण होने पर निविदादाता को उक्त कार्य का बिल अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के नाम तीन प्रतियों में अधोहस्तक्षारकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गए सभी सामान का उपापन समिति द्वारा तकनिकी मापदण्डों के अनुसार सही पाए जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। निविदादाता को कोई भी अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

## VI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

## VII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

VIII. निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के नियम 68 “खुली बिड़ के लिए बिड़ एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013” के अनुसार लागू होंगी।

IX. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

X. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:

- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XI. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्कृता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट सूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

## XII. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–
  - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
  - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
  - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
  - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
  - (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
  - (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

*Suman*

- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।
- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

**XIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तावरण** — प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

**1. अपीलः—** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (**प्रपत्र-'य'**) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है

तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्बन्ध अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपर्युक्त किया जाएगा।
- (8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।
- (10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का छापा करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

## 2. अपील का प्रारूप —

- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप (**प्रपत्र - 'य'**) में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

## 3. अपील फाइल करने के लिए फीस —

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

## 4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया —

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा

और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

**XIX.** यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

  
अधिकारी  
Kumar

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

## तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 2.75 लाख

बोली प्रतिभूति राशि – रूपये 5500/-

निविदा प्रपत्र शुल्क – रूपये 500/-

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि – 30.12.2024 समय – दोपहर 01.00 बजे तक

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में फर्नीचर आपूर्ति करने के लिए खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम .....
2. कार्यालय/डाक का पता एवं मोबाईल नम्बर .....
3. सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर .....
4. किसको संबोधित किया गया – अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर)
5. खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/- एवं बोली प्रतिभूति राशि रु. 5500/- डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) के रूप में जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) के पक्ष में देय हो, इस प्रपत्र के साथ संलग्न है।
6. हमें अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित तथा संलग्न शीट में दी गयी सभी शर्तें मंजूर हैं तथा हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिए हैं।
7. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों एवं आनुशंशिक प्रभारों सहित अंकित हैं।
8. निविदादाता फर्म/कम्पनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है।
9. खुली निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की प्रति संलग्न है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध है।
10. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'स') संलग्न है।
11. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र (प्रपत्र 'द') संलग्न है।
12. खुली निविदा प्रपत्र के साथ विनिर्माता/डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रपत्र 'ल' संलग्न है।
13. खुली निविदा प्रपत्र के साथ FALL CLAUSE प्रमाण प्रपत्र 'व' संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र - 'स'

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

### वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....  
का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि  
उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रु. लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक:

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र - 'द'

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र - 'य'

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

**FORM NO. 1: (See rule 83 of RTPP)**

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No..... of .....

Before the ..... (First/Second Appellant Authority)

1. Particulars of appellant:
    - (i) Name of the appellant
    - (ii) Official Address, if any
    - (iii) Residential address
  2. Name and address of the respondent (s):
    - (i)
    - (ii)
    - (iii)
  3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the Appellant is aggrieved.
  4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
  5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
  6. Ground of appeal

.....  
.....  
.....

.....  
..... affidavit) ..... (Supported by an  
7. Prayer

Place .....  
Date .....

.....  
Appellant's Signature

*Currar*

प्रपत्र - र'

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में फर्नीचर आपूर्ति करने के लिए खुली निविदा

### तकनिकी मापदण्ड

S. No.	Name of Item	Product Image (For depiction only)	Specifications	Approx. Qty.
1	Almirah		<ul style="list-style-type: none"> <li>Size: 78 x 36 x 19 inches (LxWxD)</li> <li>Material: High-quality cold rolled MS sheet with anti-rust treatment</li> <li>Thickness of Almirah Sheet: 20 SWG</li> <li>Rack with 5 compartments of 4 number of shelves</li> <li>Colour: Silver</li> <li>Equipped with standard lock and 2 sets of keys.</li> <li>Warranty: At least one year</li> </ul>	08
2	Plastic Chair		<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: Chair with arm rest</li> <li>Material: Plastic</li> <li>Size (Min.): Seat Width – 575 mm Seat Depth – 615 mm Seat Height – 875 mm</li> <li>Warranty: At least three years</li> </ul>	80
3	Executive Chair		<ul style="list-style-type: none"> <li>Type: High back executive revolving chair with arm rest</li> <li>Chair Material: Wood &amp; Metal</li> <li>Base Material: Heavy-duty metal base</li> <li>Upholstery Material: Leather</li> <li>Handle Material: Wooden</li> <li>Size (Min.): Seat Width – 750 mm Seat Depth – 750 mm Seat Height – Adjustable</li> <li>Wheels: 4 nos. of dual wheels</li> <li>Swivel: 360° swivel</li> <li>Any Position Tilt Lock Mechanism</li> <li>BIFMA Certified seat lift</li> <li>Warranty: At least one year</li> </ul>	01

मै/मेरी फर्म ..... उक्त समस्त तकनिकी मापदण्ड पूर्ण करने हेतु बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र - 'ल'

(लिफाफा नं. 1 में रखना है)

### निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामान/उपकरणों के लिए निविदा दी हैं उनका/उनके मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय /विपणन एजेंट हूँ /हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो कि जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सिमा तक उसे स्वीकार किया गया है, उसे रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



प्रपत्र 'ब'

(लिफाफा नं. 2 में रखना है)

कृषि महाविद्यालय, नौगांवा (अलवर) में फर्नीचर आपूर्ति निविदा हेतु वित्तीय दर

1. निविदादाता का नाम : .....
2. पता : .....
3. मोबाइल नंबर : .....
4. फर्म का जीएसटी नंबर : .....
5. PAN नंबर : .....

क्र. सं.	उपकरण का नाम	दर प्रति नग (₹)	जीएसटी दर (%)	दर प्रति नग (जीएसटी एवं सभी करों सहित) (₹)
1	Almirah			
2	Plastic Chair			
3	Executive Chair			

मैंने निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं समस्त शर्तों के अनुसार उपरोक्त दरों पर कृषि उपकरण आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर